न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डनायक,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री महेन्द्र लोढ़ा

प्रकरण संख्या 34/11 तारीख रजू 10/01/2011

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक,सवाईमाधोपुर। –सायल(प्रार्थी)

बनाम

श्री राजकुमार पुत्र श्री हेमराज जाति मीणा उम्र 22 साल निवासी सूर्यनगर कॉलोनी थाना मानटाउन सवाई माधोपुर । ––गैर सायल(अप्रार्थी)

अभियोग–पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975

निर्णय दिनांक– 24.8.18

पुलिस अधीक्षक,सवाईमाधोपुर द्वारा यह अभियोग पत्र राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गैर सायल(अप्रार्थी श्री राजकुमार पुत्र श्री हेमराज जाति मीणा उम्र 22 साल निवासी सूर्यनगर कॉलोनी थाना मानटाउन सवाई माधोपुर के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है। अभियोग पत्र के अनुसार गैरसायल(अप्रार्थी) के विरूद्व थानाधिकारी थाना मानटाउन स0मा0 में जिला सवाईमाधोपुर मे निम्न अभियोग पंजीवद्व होना बताया है।

क.स.	मुकदमा नम्बर	दिनांक	धारा	चार्जशीट नम्बर	दिनांक	फैसला
1	90/08	03.03.08	4/25 आर्म्स एक्ट	74	28.04.08	पैण्डिगं कोर्ट
2	150/08	30.04.08	382 भा0द0सं0	190	27.08.08	पैण्डिगं कोर्ट
3	193/08	21.05.08	143,341,323,379, भा0द0सं0	191	27.08.08	पैण्डिगं कोर्ट
4	194/08	22.05.08	392 भा0द0सं0	192	27.08.08	पैण्डिगं कोर्ट
5	290/08	25.07.08	341,323 भा0द0सं0	170	30.07.08	पैण्डिगं कोर्ट

उक्त पंजीवद्व आपराधिक प्रकरणो मे बाद जॉच चार्जशीट किता कर संबंधित न्यायालय मे चालान पेश किया गया। उक्त समस्त प्रकरण माननीय न्यायालय में वर्तमान में विचाराधीन है। गैरसायल श्री राजकुमार पुत्र श्री हेमराज जाति मीणा उम्र 22 साल निवासी सूर्यनगर कॉलोनी थाना मानटाउन सवाई माधोपुर उद्दापन, लूट, मारपीट व अवैध हथियार रखने का आदि है तथा भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अध्याय 16 व 17 के अर्न्तगत आने वाले अपराधों को आदतन रूप से करता चला आ रहा है। जिससे ईलाका श्रीमान में निवास करने वाले नागरिकों की सम्पति की सुरक्षा एवं उसकी जान की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। गैरसायल को समय–समय पर उसके द्वारा किये गये अपराधों में गिरफतार कर उसके विरूद्ध चालान पेश न्यायालय में किये गये है किन्तु गैरसायल अपराध का आदी हो गया है तथा उसने समाज में खतरनाथ रूप ले लिया है जिसे अब ना पुलिस का भय रहा है और नाही न्यायालय प्रकिया का। अतः गैरसायल को आदतन अपराधी मानते हुए राजस्थान गुण्डा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

एक्ट की धारा 2 की उपधारा (ख) के तहत गुण्डा घोषित कराया जाकर जिला बाहर किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे। ताकि थाना क्षैत्र में सुख शांति से लोग जीवन बसर कर सके।

अभियोग पत्र के साथ तालिका मे अंकित प्रथम सूचना रिपोर्ट,चार्जशीट प्रति,न्यायालय निर्णय प्रतियां प्रस्तुत की है।

अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 के नियम–4 मे उल्लेखानुसार राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। गैरसायल जरिये अभिषक व असालतन उपस्थित आया। गैरसायल श्री राजकुमार पुत्र श्री हेमराज जाति मीणा उम्र 22 साल निवासी सूर्यनगर कॉलोनी थाना मानटाउन सवाई माधोपुर द्वारा आरोप पत्र मे लगाये आरोपो का खण्डन करते हुए जवाब पेश किया। तत्पश्चात् उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने बहस मे तर्क दिया कि गैरसायल उद्दापन, लूट, मारपीट व अवैध हथियार रखने का आदि है तथा भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अध्याय 16 व 17 के अर्न्तगत आने वाले अपराधों को आदतन रूप से करता चला आ रहा है। जिससे ईलाका श्रीमान में निवास करने वाले नागरिकों की सम्पति की सुरक्षा एवं उसकी जान की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। गैरसायल को समय–समय पर उसके द्वारा किये गये अपराधों में गिरफतार कर उसके विरूद्ध चालान पेश न्यायालय में किये गये है किन्तु गैरसायल अपराध का आदी हो गया है तथा उसने समाज में खतरनाक रूप ले लिया है जिसे अब ना पुलिस का भय रहा है और नाही न्यायालय प्रकिया का। अतः गैरसायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 3 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करते हुए जिले से निष्काषित किया जावे।

विद्वान वकील गैर सायल ने जवाब मे अंकित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि पुलिस ने गलत तथ्यो के आधार पर गेर सायल के विरूद्व इस्तगासा पेश किया है जो ड्राप किये जाने योग्य है। गैरसायल को किसी भी प्रकरण में आंदिनांक तक न्यायालय द्वारा दोषी करार नहीं दिया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा के अनुसार गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत किये गये सभी प्रकरण वर्तमान में मा0 न्यायालय में पेंन्डिगं है। जिससे स्वतः ही स्पष्ट है कि गैरसायल को किसी भी प्रकरण में दोषी करार नहीं दिया गया है,जिससे स्पष्ट है कि गैरसायल का किसी भी प्रकरण में दोष सिद्व नहीं होता है, साथ ही वकील गैरसायल ने सायल द्वारा गैरसायल के खिलाफ प्रस्तुत किया गया अभियोग –पत्र अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अभियोजन अधिकारी व विद्वान वकील गेर सायल की बहस सुनने व मनन करने तथा अभियोग पत्र पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात व साक्ष्य का भली भांती अवलोकन करने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पंहुंचा हु कि सायल द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा में गैरसायल के विरूद्व 5 मुकदमें जर्द होना बताया है, उक्त इस्तगासा में अंकित सूची के अनुसार गैरसालय समस्त प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन होना पाया जाता है। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 में स्पष्ट प्रावधान है कि सायल द्वारा इस्तगासा पेश करने से पूर्व छः माह की अवधि में गैरसायल द्वारा तीन बार अपराध कारित करते हुए पाया जाना आवश्यक है। लेकिन पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार गैरसायल स्पष्ट रूप से एक भी मुकदमें में अपराध कारित होना सिद्व नहीं होता है। इस प्रकार छः माह की अवधि में गैरसायल द्वारा तीन बार अपराध सिद्व न होने के कारण गैरसायल गुण्डा की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर सायल द्वारा गैरसायल के खिलाफ प्रस्तुत किया गया अभियोग –पत्र अस्वीकार किया जाकर गैरसायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 75 की कार्यवाही ड्राप की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.8.18 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सवाईमाधोपुर